(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

हरफूल बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र स्थगन मु०न० 26 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
06.09.2017	अपीलांट की ओर से वकील श्री सागरमल धायल उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2017 मु.न. 14/2017 अनुवानी सरकार बनाम हरफूल की कियान्विति स्थगित किये जाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2017 की आगामी तारीख पेशी 25.09.2017 तक यथास्थिति बनाये रखे। आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.09.2017 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर, सीकर	
25/09/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी मनोज कुमार की ओर से वकील श्री हरफूल सिंह खीचड़ ने आवेदन O1 R10 CPC पेश किया जो शामिल रहे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दि. 24/10/17 को पेश हो।	
24/10/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान ने कार्यभार स्थगित कर रखा है ADM सा. बाहर पधारे हुये है पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र हेतु दि. 01/11/17 को पेश हो।	
01/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। जवाब प्रा.पत्र हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र/ बहस हेतु दि. 06/11/17 को पेश हो।	
6/11/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रा.पत्र O1 R10 CPC का जवाब मूल अपील में पेश किया जा चुका है। मूल पत्रावली के साथ दिनांक 10/11/17 को पेश हो।	

10/11/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। ADM सा. बाहर पधारे हुये हैं बहुक्म साबिका दि. 13/11/17 को पेश हो।

13/11/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूल पत्रावली के साथ दि. 17/11/17 को पेश हो।

17/11/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। ADM सा. बाहर पधारे हुये हैं बहुक्म साबिका दि. 20/11/17 को पेश हो।

20/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली बाजाब्ता दि. 21/11/17 को पेश हो।

21/11/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/11/17 को पेश हो।

27/11/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र से संबंधित अपील का निस्तारण हो चुका है अब प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वमान इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील के संलग्न रहे।